संख्या–888 / एक–10–2021–33(221) / 2011 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2021

विषयः– कोविड–19 की जांच हेतु RT-PCR Kit एवं RNA Extraction Kit क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 626 / 71–2–2021–सी0ओ0–12 / 2020 टी0सी0, दिनांक 28.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 की रोकथाम, बचाव एवं उपचार के दृष्टिगत **के0जी0एम0यू0, लखनऊ को कोविड–19 की जांच हेतु** RT-PCR Kit एवं RNA Extraction Kit **क्रय किये जाने हेतु** वित्तीय **वर्ष 2021–22 में रू0 50,00,00,000 / – (रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर अग्रिम रूप से रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–**

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका / वित्तीय नियमों तथा प्रकियाओं का अनुपालन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुयी हो।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग / समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2 / 1– 11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई

बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्ताकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

29/4/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-888(1)/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5- कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
8- चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
10- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।